तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2194/2005/श्रीगंगानगर सावित्री बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री आर.एस. बराड, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 07.09.2018

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज खुमाराम ने उपखण्ड अधिकारी, राजस्व रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किशनावाली में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 48बीघा भूमि थी जो बन्दोबस्त होने के बाद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आने के बाद चक 15 एसडी में मु. नम्बर 125/401, 126/404, 125/404, 125/405, 126/405, 127/404, 127/405 में कुल 48बीघा दर्ज हुई। उक्त रकबा में से मु.न. 125/405 में 01बीघा रकबा राजाराम को आवंटित हो गया और शेष रकबा 47बीघा रहा। इस 47बीघा में 1/2 हिस्सा मीरा बेवा लाधूराम व 1/2 हिस्सा नानू पुत्र बेगाराम के नाम से दर्ज हुआ। मीरा ने अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि हरीराम पुत्र नानूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2194/2005/श्रीगंगानगर सावित्री बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को बजरिये डिक्री करवा दी और शेष 1/2 हिस्सा उसके स्वयं के नाम से हुई। तत्पश्चात् उसकी मृत्यु उपरान्त यह रकबा जरिये वसीयतनामा श्योनारायण, ओमप्रकाश, पृथ्वीराम पि. हरीराम के नाम से दर्ज हुआ तथा हरीराम की मृत्यु उपरान्त 1/2 हिस्सा भूमि श्योनारायण, पृथ्वीराम, लाधूदेवी व कमला के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। 47बीघा में से 1/2 हिस्सा भूमि जो नानूराम के नाम से दर्ज थी उसकी मृत्यु उपरान्त खुमाराम के नाम बतौर विरासतन दर्ज हुई। खुमाराम ने इस भूमि में से 09बीघा भूमि अपने लडके रामकुमार के नाम से करवा दी। इस 47बीघा भूमि के अलावा प.न. 126/405 के 3.10बीघा भूमि स्मालपेंच में लादू देवी आदि के नाम से आवंटन हुई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–2 से 6 के हिस्से में 23.10बीघा व 3.10बीघा कुल 27बीघा भूमि दर्ज हुई। प.न. 127/404 किला नम्बर 25 में 0.02बीघा, प.न. 125/404 किला नम्बर 1 में 0.04बीघा, किला नम्बर 10 में 0.04बीघा कुेल 0.10बीघा रास्ता स्वीकृत हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–2 ता 6 की भूमि में 0.10बीघा रास्ता चला गया और उनके हिस्से में 26.10बीघा शेष रह गई। लेकिन सहवन से जमाबन्दी में 27बीघा अंकित हो गयी तथा अप्रार्थी संख्या–7 राजकुमार की जमाबन्दी में 0.10बीघा का अंकन होने से रह गया। चक 15एसडी के प.न. 126/404 किला नम्बर 20 की 0.10बीघा पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा शेष 0.10बीघा पर अप्रार्थी संख्या–2 ता 4 का कब्जा काश्त है परन्तु रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या–2 ता 4 के नाम से 01बीघा दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम चक 15एसडी के प.न. 126/404 किला नम्बर 10 की 0.120बीघा भूमि दर्ज की जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज किला नम्बर 20 की 01बीघा के स्थान पर 0.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2194/2005/श्रीगंगानगर सावित्री बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10बीघा का अंकन किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 03–07–2001 से प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण के पूर्वज की ओर से सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–02–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि चक 15एसडी के मु.न. 126/404 के किला नम्बर 20 की 10बिस्वा भूमि पर अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से अर्थात् सम्वत् 2012 से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त है लेकिन सहवन से किला नम्बर 20 की सम्पूर्ण भूमि प्रत्यर्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी, जो प्रार्थनापत्र के माध्यम से दुरूस्ती योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र एवं अपील को खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2194/2005/श्रीगंगानगर सावित्री बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पूर्वज की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में चाहे अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश पारित किये जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थीगण के धारण की भूमि सहवन से प्रत्यर्थीगण के राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज खुमाराम की ओर से उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज चक 15एसडी के प. न. 126/404 के किला नम्बर 20 की 01बीघा भूमि में से 0.10बीघा भूमि स्वयं के नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 03–07–2001 से खारिज कर दिया। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपील को अपीलाधीन निर्णय से खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2194/2005/श्रीगंगानगर सावित्री बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थीगण ने हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के माध्यम से खातेदारी के इन्द्राज में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

परिणामतः अपीलाथीगर्ण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य